उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2

संख्या-24/2018/660/94-स्टा०नि०-2-2018-700(332)/17

लखनऊ:दिनांक 27 जून, 2018

कार्यालय-आदेश

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्राप्त प्रतिकर से अन्यत्र क्रय की गई कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय-विलेखों पर स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क से छूट प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में जनपद मेरठ एवं हापुड़ के भू-धारकों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि रेलवे विभाग के पक्ष में अधिग्रहीत भूमि से प्राप्त प्रतिकर से एक वर्ष के अन्दर क्रय की गई भूमि पर स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की छूट दिये जाने से इन्कार किया जाता रहा है।

अत: जनपद मेरठ एवं हापुड़ के भू-धारकों द्वारा यह मांग की गई है कि भारतीय रेलवे की भाँति अधिग्रहीत भूमि से प्राप्त प्रतिकर से एक वर्ष के भीतर अन्यत्र कृषि भूमि क्रय किये जाने पर स्टाम्प/निबन्धन शुल्क का लाभ अनुमन्य कराया जाय।

2- उक्त तथ्य संज्ञान में आने पर आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या-2919/शि0का0लख0/2017 दिनांक 23.08.2017 द्वारा प्रकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुए स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया था।

3- उल्लेखनीय है कि डेडिकेटेड फ्रंट कारिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा रेल संशोधन अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रंट कारिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा कृषकों के लिए Entitlement Matrix **जारी की गई है। इस प्रकार एक ही जनपद में एक ही प्रकार की भूमि अधिग्रहण में अलग-अलग मानक करने के कारण कृषकों में असंतोष व्याप्त है।**

4- इस प्रकार के प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-7359/2018 श्री जय प्रकाश अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक 26.02.2018, रिट याचिका संख्या-5753/2018 जितेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक 12.02.2018, रिट याचिका संख्या-10561/2018 असीम अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक 23.03.2018, रिट याचिका संख्या-10184/2018 श्रीमती प्रकाशी देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक 20.03.2018, रिट याचिका संख्या-10176/2018 श्रीमती मधुरानी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक 20.03.2018 एवं रिट याचिका संख्या-18489/2018 राजेन्द्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक 22.05.2018 में निम्नवत आदेश पारित करते हुए निर्णीत किया गया है :-

"This writ petition is, therefore, **disposed of** with a direction to the respondent no. 1-. Principal Secretary, Stamp and Registration, U.P. Lucknow to examine the matter and take a decision in accordance with law having regard to the State Government's G.O. dated 2.6.2011 as well as the letter of the Additional Commissioner and the District Magistrate, Hapur referred to herein above within a period of three months from the date of receipt of the certified copy of this order. The Principal Secretary may also seek the version of the NHAI from them before any decision is taken.

It is made clear that the court has not adjudicated the claim of the petitioner on merit."

5- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक 26.02.2018, 20.03.2018 एवं 22.03.2018 की प्रतियां सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1093(3)/94-स्टा0नि0-2-2018-700(332)/2017 दिनांक 10 मई, 2018 तथा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली से अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1093/94-स्टा0नि0-2-2018-700(332)/2017 दिनांक 10 मई, 2018 द्वारा यह अनुरोध किया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्राथमिकता के आधार पर निर्गत करायें ताकि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के समादर में प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

6- उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण की नयी नीति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-632/एक-13-11-20(29)/2004 दिनांक 02.06.2011 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लागू होता है। उक्त शासनादेश राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिग्रहण की जा रही भूमि पर लागू नहीं होता है।

7- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्राप्त प्रतिकर से अन्यत्र क्रय की गई भूमि पर डेडिकेटेड फ्रंट कारिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की भॉति एवं स्टाम्प एवं निबन्धन की प्रतिपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में महाप्रबंधक (भू0अधि0), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या-एन0एच0ए0आई0/11013/ डी0जी0एम0(एल0ए0)/2018/ एफ0टी0एस0-80/119126, दिनांक 07/11 जून, 2018 (संलग्नक-1) द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण का परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत होता है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के प्रतिकर के भुगतान के इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अतः भू/सम्पत्ति स्वामियों को प्रतिकर की राशि से भूमि/मकान/दुकान आदि का क्रय करने पर स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क पर व्यय की प्रतिपूर्ति सम्भव नहीं है।

8- प्रकरण में उल्लिखित याचिकाओं, तथ्यों, मुख्य महाप्रबंधक (भू0अधि0) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संदर्भित पत्र 07/11 जून, 2018 द्वारा प्रेषित आख्या तथा याचीगणों द्वारा मांगे गये अनुतोष एवं प्रकरण से आच्छादित उक्त रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2018, 26.02.2018, 20.03.2018, 23.03.2018 एवं 22.05.2018 के समादर में प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि याची द्वारा मांगा गया अनुतोष- "राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्राप्त प्रतिकर की राशि से अन्यत्र क्रय की गई भूमि/मकान/दुकान आदि का क्रय करने पर विक्रय-विलेखों पर स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण को सकारण निस्तारित किया जाता है।

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2018/660(1)/94-स्टा०नि०-2-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली।**
2. **सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।**
3. **महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।**
4. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
5. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
6. **मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।**
7. **समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।**
8. **समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।**
9. **समस्त याचीगण।**
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

लालू
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in